

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 58/2020

GCMS No-2020/00265

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1. सत्यनारायण पुत्र राजाराम जी घांची, मैसर्स - देवकिशन राजाराम (गोदाम), 5-6 महादेव नगर, मिशन स्कूल के पास, सुर्या कॉलोनी, नया गांव, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :-

1. श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

:- निर्णय :-

दिनांक - 31/3/2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने नियत तारीख पेशी 16.09.2020 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपना लिखित जवाब पेश किया किया। आज न्यायालय में अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर पदस्थापित है। उपखण्ड अधिकारी, पाली एवं आयुक्त, नगर परिषद पाली से प्राप्त पत्र की पालना में दिनांक 24.01.2020 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स देवकिशन राजाराम (गोदाम), 5-6 महादेव नगर, मिशन स्कूल के पास, सुर्या कॉलोनी, नया गांव, पाली पर पहुँचा, वहाँ फर्म के मालिक की उपस्थिति में गोदाम का निरीक्षण करने पर पाया की गणतंत्र दिवस पर घी के बने लड्डू बनाने की निविदा नगर परिषद पाली द्वारा अप्रार्थी को दी हुई है, उसी हेतु उसने बच्चों में वितरित करने तथा बिक्री करने हेतु लड्डूओं का निर्माण किया हुआ था, उक्त लड्डूओं में मिलावट का शक हुआ तो रूबरू गवाहान प्रपत्र 5 ए भरकर दिया, जिस पर प्रार्थी, गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। इसके पश्चात खाद्य घी के बने बेसन के लड्डू के नमूने को वास्ते जांच, क्रय किया, उक्त क्रयसुदा दो किलो बेसन के लड्डू (घी के बने) को चार भागों में विभक्त कर चार शिशियों में भरकर उसमें 40-40 बुंद फार्मैलिन की बतौर प्रीजरवेटीव डालकर उस पर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर-1026 अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस. /32/एक्ट/2020/32 दिनांक 06.02.2020 के अनुसार प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना बेसन के लड्डू (घी के बने) को sub-standard का होना जाहिर किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा sub-standard खाद्य बेसन के लड्डू (घी के बने) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

दिलीपसिंह यादव
पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.01.2020 को दौराने गस्त अप्रार्थी की फर्म पर गया तो, वहां पर सत्यनारायण पुत्र राजाराम जाति घांची (मालिक) उपस्थित मिला। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5-ए भरकर दिया तथा इनकी उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.01.2020 को खाद्य बेसन के लड्डू (घी के बने) को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-1026 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस. /32/एक्ट/2020/32 दिनांक 06.02.2020 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर-1026 को "The sample of Besan laddu made in ghee bearing Code No. and Sr.No. R-1026 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Pali is **Sub-Standard** as it does not conform to the prescribed standards of Food safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011." का माना है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली ने जरिये पत्रांक एफ.एस.एस.ए./2020/2726-27 दिनांक 13.03.2020 के द्वारा विक्रेता को प्राप्त रिपोर्ट प्रेषित कर, पुनः जॉच निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला से निर्धारित समयावधि कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जो उसके द्वारा नहीं करवाए जाने से उसके विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया। जिसे अप्रार्थी ने भी अपने जवाब में स्वीकार करते हुए, कम से कम जुर्माना करने बाबत निवेदन किया है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard खाद्य बेसन के लड्डू (घी के बने) का विनिर्माण/विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी सत्यनारायण पुत्र राजाराम घांची पर 25,000/- अक्षरे पच्चीस हजार रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(चन्द्रभान सिंह भाटी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/3/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली